न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 17 / 2016

1. गीतिका पत्नी श्री देवेश मुदगल जाति ब्राह्मण निवासी नगर पालिका रोड गुरूद्वारा धौलपुर ।
.....प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार तहसील एवं जिला धौलपुर राज0।
2. सीताराम । पुत्रगण करनी कौम काछी निवासी नैनोखर तहसील व जिला धौलपुर
3. जवाहरलाल।
4. जगन्नाथ ।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू0 राज0 अधि0 1956

उपस्थिति – 1. श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ डवोकेट––प्रार्थीया की ओर से
2. श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट –अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से
3–पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 07.01.2022

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 796 बाकै ग्राम नैनोखर तहसील व जिला धौलपुर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी के बाबत् हल्का पटवारी पचंगाव पर बन्दोवस्त के बाद का उपलब्ध नक्शा लट्ठ ट्रेस ग्राम नैनोखर में प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 796 सही अंकित है, लेकिन लट्ठा ट्रेस जीर्ण होने के कारण नया लट्ठा ट्रेस बनवाया गया तो प्रार्थीया के खसरा नम्बर 796 के स्थान पर 797 तकनीकी भूल से अंकित कर दिया गया है। जिसे प्रार्थीया पटवारी हल्का के पास नवीन उपलब्ध नक्शा ट्रेस में गलत हुए नम्बर 797 के बजाय 796 अंकित कर दुरस्त करा पाने की कानूनन अधिकारिणी है। उक्त शुद्धी हेतु प्रार्थीया द्वारा एक प्रशासनिक प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर के समक्ष उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई। हल्का पटवारी द्वारा भी अंकित किया कि खसरा नम्बर 796 की जगह खसरा नम्बर 797 गलत अंकित होने की रिपोर्ट की तथा उक्त खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस को शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। उक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए तहसीलदार धौलपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बर को नक्शा ट्रेस में दुरस्त करने हेतु उपखण्डाधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश किया, जिसमें उन्होने मौखिक रूप से प्रार्थीया को बताया कि उक्त अनुतोष धारा 136 एल0आर0एक्ट के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं मौजूदा नक्शा ट्रेस में शुद्धी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 उपस्थित आये और जबाब पेश किया कि पटवारी हल्का के पा उपलब्ध नक्शा लट्ठ में खसरा नम्बर 796, 797 को सही अंकित किया है, यह गलत है कि नक्शा लट्ठ जीर्ण–शीर्ण होने के कारण पुनः बनाया गया हो। प्रार्थीया ने यह भी नही बताया है कि नक्शा लट्ठ कब बनाया गया था। जहॉ वर्तमान में 797 अंकित है वही हमेशा से अंकित रहे है। कोई तकनीकी भूल से कोई नम्बर गलत अंकित नहीं किया गया है।। प्रार्थीया नक्शा लट्ठ ट्रेस में खसरा नम्बर 797 के स्थान पर 796 करा पाने की अधिकारी नहीं है। खसरा नम्बर 796 का कोई बंटवारा हुआ हो तो प्रार्थीया स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थीया ने मिथ्या साक्ष्य सृजित कर मिथ्या वादकारण कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार धौलपुर के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश किया हो तो उसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट गलत अंकित करा ली है तो वह रिपोर्ट उत्तरदातागण की पीठ पीछे है। पटवारी हल्का एवं प्रार्थीया दुरभि संधि किये है। पटवारी हल्का को अनुचित लाभ देकर अपने पक्ष में दुरूस्ती बाबत् गलत रिपोर्ट दिलाई गई है। प्रार्थीया के परिवार के लोक सम्पत्तियों खरीद फरोख्त का व्यवसाय करते है, जिनके अच्छे सम्बन्ध पटवारी हल्का से रहते है इसलिए पटवारी हल्का ने प्रार्थीया के पक्ष में झूठी रिपोर्ट नक्शा दुरूस्ती बाबत् दी है। यह बात गलत है और स्वीकार नहीं है कि रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 18.09.2014 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रेषित किया हो और न्यायालय ने प्रार्थीया को वर्तमान कार्यवाही करने की हिदायत दी थी। खसरा नम्बर 796 को प्रार्थीया ने क्रय किया है इससे पूर्व प्रार्थीया के विक्रेता द्वारा नक्शा अक्स को कभी भी आपेक्षित नहीं किया है। प्रार्थीया की जानकारी में है कि 797 का विभाजन हो चुका है विभाजन के मुताबिक जिन पक्षकारों के हित खसरा नम्बर 797 में समाहित हो चुके है उन्हें प्रार्थीया ने पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है जो कि प्रकरण के प्रभावी निराकरण हेतु आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है। जिन्हें पक्षकार प्रकरण बनाये बिना प्रार्थना पत्र अपने वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्रांक 320 दिनांक 11.02.2021 रिपोर्ट पेश कि पटवारी हल्का पर उपलब्ध बन्दोवस्ती लट्ठा ट्रेस की प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 796, 797, 798 सही अंकित है। परन्तु बन्दोवस्ती के समय लट्ठा ट्रेस किया गया तो नक्शा ट्रेस गलत अंकित हो गया। और उसी अनुरूप गलत नम्बर ट्रेस चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड वन्दोवस्ती लट्ठा ट्रेस से मेल खाता है। इसलिए बन्दोवस्ती लट्ठा ट्रेस के अनुसार ही नक्शा दुरूस्त किये जाने की सिफारिश की है।

प्रार्थीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.09. 2014 की प्रति, प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार धौलपुर को दिये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2014 की प्रति, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2015 की प्रति, जमाबंदी सम्बत् 2070–2073 की प्रति, जमांबन्दी सम्बत् 2070, वन्दोवस्ती नकल नक्शा लट्ठ ट्रेस, नकल नये नक्शा लट्ठ ट्रेस, प्रस्तुत किये।

बहस प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीया के विद्धान अभिभाषक का ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया किया कि प्रार्थीया की विवादित आराजी खसरा नम्बर 796 का बन्दोवस्त के समय तैयार नक्शा लट्ठ में सही अंकन है। लेकिन उक्त नक्शा के जीर्ण होने के बाद बनाये नये नक्शे में सहवन से 797 अंकित हो

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अपने जबाब बहस में कथन किया कि प्रार्थीया की ओर से झूठा प्रार्थना पत्र मिथ्या साक्ष्य तैयार करते हुए पेश किया है। पटवारी हल्का के साथ उनकी मिली भगत है। प्रार्थीया ने कई तथ्य छुपाये है। आराजी खसरा नम्बर 797 का बंटवारा हो गया है, उसके कई पक्षकारों का प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। आदेशिका दिनांक 06.03.2020 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 796 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1780/796, 1779/796 के नये खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये थे। दिनांक 03.10.2020 एवं 05.01.2021 अन्तिम अवसर भी प्रदान किये जा चुके है फिर भी प्रार्थीया की ओर से आज दिनांक तक संशोधित प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 796, एवं 797 का विभाजन हो चुका है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर विवादित आराजी 796 के विभाजन के बाद काबिज हुए नऐ काश्तकारों को रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया जो कि आदेश दिनांक 06.03.2020 को स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 796 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1780/796, 1779/796 के नये खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना हेतु दिनांक 03.10.2020 एवं 05.01.2021 अन्तिम अवसर भी प्रदान किये गये उसके बाद भी आज दिनांक तक वकील प्रार्थी द्वारा उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि नये खातेदारों का हित उक्त खसरा नम्बरान में समाहित हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाते हुए प्रार्थना पत्र 136 एलआरए पेश किया है। समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बगैरा प्रकरण का निस्तारण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र पोषणीय होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)